

**न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर**

**अपील/राजस्व/21/2020**

कमलसिंह पुत्र गरीबा जाति जाटव निवासी बरबारा तहसील नदबई जिला भरतपुर।

....अपीलान्ट

**बनाम**

राज० सरकार जरिए राजकीय अभिभाषक भरतपुर।

.....रेस्पो०

अपील अंतर्गत धारा 75 एल.आर. एक्ट विरुद्ध निर्णय दि०  
22.09.2020 न्यायालय नायब तहसीलदार नदबई उनवानी राज०  
सरकार बनाम कमलसिंह प्रकरण सं. 29/2020 अर्न्तगत धारा  
91 एलआर एक्ट

**उपस्थित :-**

- 1-श्री हनुमान प्रसाद गोयल एड०, अभिभाषक अपीलान्ट।
- 2-राजकीय अभिभाषक।


**निर्णय**

**दिनांक 28.12.2021**

अपीलान्ट द्वारा यह अपील विरुद्ध रेस्पो० व खिलाफ आदेश नायब तहसीलदार नदबई के निर्णय दि० 22.09.2020 के विरुद्ध प्रस्तुत की है। अपीलाधीन आदेश में नायब तहसीलदार नदबई ने अतिकमी अपीलान्ट को आराजी खसरा नम्बर 165/06 ऐयर बजंड में से 02 ऐयर पर लकडी, घूडा डालकर अतिकमण करने से बेदखल किये जाने एवं शास्ती आरोपित किये जाने की आज्ञा पारित की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट के विरुद्ध नोटिस जारी किये गये एवं तहत पत्रावली तलब की गई। नायब तहसीलदार नदबई से तहत पत्रावली प्राप्त होने पर शामिल मिसिल की गई है। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपने अपील में अंकित कथनों को दोहराते हुये जाहिर किया है कि तहत न्यायालय ने दिनांक 04.09.2020 के अपीलान्ट के जबाब पर बिना गौर

  
जिला कलक्टर  
भरतपुर (राज०)

किये एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। आराजी खसरा नम्बर 165 के चिपटेवा आराजी खसरा नम्बर 166 रकबा 6 ऐयर वाके ग्राम अंगनपुरा पर अपीलान्ट की खातेदारी है व मकान बना हुआ है तथा शिवालय का मंदिर बना हुआ है। जिसमें अपीलान्ट व उसके भाई डालचन्द, खूबीराम के परिवारीजन सहित गांव के सभी निवासीयान पूजा करते हैं। तहत न्यायालय द्वारा अपीलान्ट के जबाब पेश करने के बाद पटवारी हल्का के कोई साक्ष्य नहीं ली और न ही अपीलान्ट को साक्ष्य पेश करने का कोई अवसर दिया। दिनांक 04.09.2020 को जबाब के बाद जो आर्डरशीट दिनांक 22.09.2020 की लिखी गई थी। उसमें अपीलान्ट के अभिभाषक की बहस सुनने एवं फैसला देने का कोई हवाला नहीं दिया गया है। इस प्रकार फैसला न्यायिक सिद्धान्तों की पालना किये बिना विधि विरुद्ध पारित किया गया है। आराजी खसरा नम्बर 165 रकबा 2 ऐयर वाके अंगनपुरा पर 100वर्षों से कब्जा बताया था और 2 ऐयर छोटा रकबा होने के कारण स्ट्रीट आफ लेण्ड में मानकर अपीलान्ट को रेगूलाइज करने की सिफरिश करने का निवेदन किया गया था किन्तु तहत अदालत ने जबाब को कन्सीडर नहीं किया और न्यायिक सिद्धान्तों के विरुद्ध अपीलाधीन आदेश दिया गया है। अपीलान्ट द्वारा अपील स्वीकार की जाकर नायब तहसीलदार नदबई के आदेश दिनांक 22.9.2020 को निरस्त किये जाने व नियमन की सिफरिश किये जाने के आदेश प्रदान करने की प्रार्थना की है।

राजकीय अभिभाषक ने अपने तर्कों में जाहिर किया कि पटवारी हल्का द्वारा आराजी खसरा नम्बर 165 रकबा 2 ऐयर पर लकड़ी, घूडा डालकर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट के खिलाफ उक्त समस्त कार्यवाही राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत की गई है जो कि नियमान्तर्गत है। जिस पर तहत न्यायालय ने विधिवत कार्यवाही करते हुये अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। तहत अदालत द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश उचित व सही है। अन्त में राजकीय अभिभाषक द्वारा अपील खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।


हमने पत्रावली का अध्ययन किया। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष के कथनों पर गौर किया गया। तहत न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। पटवारी हल्का करीली द्वारा अपीलान्ट का आराजी खसरा नम्बर 165/0.06 ऐयर में से 0.02 ऐयर गै0 मु0 बजंड सिवायचक पर लकड़ी, घूडा डालकर अतिक्रमण किये जाने की रिपोर्ट की है। तहत पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलान्ट द्वारा जबाब पेश किया गया है जिसमें उल्लेख किया है कि आराजी खसरा नम्बर 165 रकबा 0.06 किस्म बंजड वाके ग्राम अंगनपुरा तहसील नदबई पर आज से करीब 70 वर्ष पूर्व से यानि पुश्तैनी रूप से कब्जा चला आ रहा है। उक्त आराजी खसरा नम्बर अप्रार्थी की खातेदारी के खसरा नम्बर 166 रकबा 0.06 वाके ग्राम नदबई के चिपटेवा वाजानिव उत्तर की तरफ है जिस पर अपीलान्ट का पुराना कब्जा है तथा मकान

बना हुआ है। लकड़ी व घूडा आदि डले हुए है तथा शिवालय बना हुआ है जो कि 100 साल पुराना है। खसरा नम्बर 165 रकबा 0.06 वाके ग्राम अंगनपुरा एक छोटा टुकडा है जिस पर पुराना कब्जा होने से कमलसिंह के पक्ष में रेगूलाइज किया जाना जरूरी है। दिनांक 16.09.2020 के पटवारी हल्का के मौका पर्चा रिपोर्ट से स्पष्ट है कि आराजी खसरा नम्बर 165 रकबा 0.06 गै0मु0 बंजड सिवायचक भूमि दर्ज रिकार्ड है। आ0ख0न0 165 व 166 की मेड तोडकर दोनों नम्बर मिले हुए है। आ0ख0न166 रकबा 0.06 कमलसिंह पुत्र गरीबा जाति जाटव निवासी बरबारा खातेदार दर्ज रिकार्ड है, जिसमें कमलसिंह का पक्का मकान बना हुआ है। आराजी खसरा नम्बर 165 रकबा 0.06 गै0मु0बंजड सिवायचक में डालचन्द पुत्र गरीबा जाटव की झौपडी व घूरा, बितौरा आदि अस्थाई अतिक्रमण किया हुआ है साथ ही शिव परिवार मूर्ति विराजमान है। विवादित भूमि आराजी खसरा नम्बर 165 रकबा 0.06 गै0मु0बंजड सिवायचक दर्ज है जो सार्वजनिक उपयोग की भूमि है जिसका आवंटन/नियमन नहीं किया जा सकता है। अपीलाधीन आदेश सही व उचित पारित किया गया है। जिससे अपीलान्त किसी भी प्रकार का रिलीफ प्राप्त करने का हकदार नहीं रहता है। तहत न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.09.2020 में हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं पाते है। अस्तु अपील अपीलान्त काबिल खारिज के रहती है।

**अतः आदेश है कि :-**

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्त खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति के साथ पत्रावली तहत अदालत को वापिस लौटाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 28.12.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
(हिमांशु गुप्ता )  
जिला कलक्टर,  
भरतपुर